

पत्रक

दिनांक
विभाग एवं संस्थागत
कार्य प्रदेश लखनऊ

सेवा नं.

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
राज्यीय प्रशिक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ
राज्यीय प्रशिक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ

पत्रक

डी-3/रा040/भा040संस्तुति

दिनांक : दिनांक

2012

विषय

स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर गिजी जी0प्र0 केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

संदर्भ

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17-4-2012 पर दिनांक 27-07-2012 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उपरोक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्घरण व्यवसायधार नीचे अंकित किया जा रहा है-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिगके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबन्धन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीजी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter 04(2+2)	04(2+2)	04(2+2)	SCIR-17/4/12 SIR-13-07-12 W.c.f. Aug 2012
2-	Electrician 04(2+2)	04(2+2)	04(2+2)	
3-	IT&ESM 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	

DGET-6/24/55/2012 -TC DATED 27/07/2012

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-विनामीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विभागाधीन
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा यताई गई कमियों/बुटियों का निराकरण समयावधि पर करके अपनी आख्या विन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतिभों में इस निदेशालय को अधिलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,


अपर निदेशक (प्रशि/शिक्षु)

पत्रक : /डी-3/रा040/भा040संस्तुति/ तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिक्षु)लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत करावें।
2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यवस्थागत पत्रावली हेतु।
3. मार्ग फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद् अलीगंज, लखनऊ।

(साहुल देव)

अपर निदेशक (प्रशि/शिक्षु)